न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर.ए.एस.)

वादपत्र संख्या –69/2019

उनवान

1. लोहडया पुत्र लालचन्द
2. कजोड पुत्र लालचन्द
3. रामसहाय पुत्र लालचन्द

समस्त जाति मीना निवासी कोरडा खुर्द तहसील सिकराय जिला दौसा।

बनाम

वादीगण

बनाम

1. मूल्या पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी कोरडा खुर्द तह0 सिकराय जिला दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।
3. प्रबन्धक आर एम जी बी शाखा गढराणोली तह0 सिकराय जिला दौसा।

प्रतिवादीगण

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषे0

वादीगण की ओर से श्री कैलाश चन्द्र बैंसला एड0

निर्णय **निर्णय दिनांक 17.11.2025.**

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम कोरडा खुर्द की भूमि खसरा नम्बर 52, 56, 125, 128, 182, 195, 256, 257, 258, 259 में स्थित है जो कि पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है जिसमें पक्षकारान आपसी से बुजुर्गान के समय से ही भूमि मुतदाविया का अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग बंटवारा कर रखा है लेकिन विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। उक्त भूमि के बंटवारे हेतु वादीगण द्वारा डिक्री चाही गई है। वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी हेतु नियत की गई। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उसके विरूद्ध

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं पत्रावली में वादीगण का वादपत्र स्वीकार कर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार बहरावण्डा को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक भू.अ./2025/1364 दिनांक 13.08.2025 द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किए। दिनांक 06.08.2025 को गिर्राज पुत्र मूल्या की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं आदेश 1 नियम 10 एवं धारा 151 सीपीसी पेश किया गया, जिसका जवाब वादीगण द्वारा पत्रावली में पेश किया गया है। दिनांक 10.11.2025 को उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस प्रार्थना पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि उनवानी प्रकरण में दिनांक 25.10.2024 को प्रार्थी के पिता मूल्या पुत्र गंगाधर के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्राथमिक डिक्री कर दी गई है। प्रार्थी के पिता मूल्या पुत्र गंगाधर जाति मीना निवासी कोरडा खुर्द की दिनांक 25.02.2023 को मृत्यु हो गई जिसकी वादी को पूर्ण रूप से जानकारी थी लेकिन वादी को पूर्ण रूप से जानकारी नहीं थी। प्रार्थी को उक्त दावे एवं प्रार्थी के पिता के विरूद्ध की गई एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 25.10.2024 की तथा एकपक्षीय प्राथमिक डिक्री की जानकारी नहीं थी इसलिए प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.10.2024 को अपास्त कर प्रार्थी को प्रतिवादी संयोजित करने के आदेश करें एवं मूल्या के कायम मुकाम लिए जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान किया एवं निवेदन किया कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 की तलबी उसके बेटे द्वारा स्वंय प्राप्त की गई है इसके बावजूद वह उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री जारी की गई है। मूल्या के बेटे न्यायालय प्रकरण की सूचना होने के बाद भी उपस्थित नहीं आए है एवं विभाजन प्रस्ताव में मृतक मूल्या की भूमि उसके वारिसान के नाम हो जावेगी, इसलिए पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जावे एवं तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्रकरण में न्यायालय द्वारा प्रतिवादी की विधिवत तलबी जारी की गई है, तथा बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर न्यायालय द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसकी पालना में तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा विभाजन प्रस्ताव भी तैयार कर पेश किए जा चुके है। प्रकरण तकास्मा बाबत है जो कि 2019 से लंबित है एवं अब पत्रावली में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है एवं प्रकरण अंतिम स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी
लिकराय जिला दौसा

लंबित है इस स्तर पर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित नहीं है। तथा तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रकरण में पेश प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 एवं 1 नियम 10 व धारा 151 जा0दी0 खारिज किया जाता है। एवं तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पत्रांक भू. अ./2025/1364 दिनांक 13.08.2025 द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर वादपत्र अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार बहरावण्डा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें एवं विभाजन प्रस्ताव में फौत खातेदार मूल्या की भूमि पर उसके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करें। उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। तहसीलदार को पालना तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

(डॉ0 नवनीत कुमार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा
हस्ताक्षर एवं मुद्रा
उपखण्ड अधिकारी सिकराय